

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1101
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

भूजल संदूषण और संदूषण

1101. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के आधार पर कोरबा और अन्य औद्योगिक जिलों में भूजल संदूषण से निपटने के लिए कोई जिला-वार उपचारात्मक कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले उन घरों की संख्या कितनी है, जहां भूजल में नाइट्रेट और अन्य हानिकारक तत्वों का स्तर निर्धारित सीमा से चालीस प्रतिशत अधिक है; और
- (ग) क्या इन क्षेत्रों में वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों या उपचार प्रणालियों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के अंतर्गत अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा उत्पन्न करता है।

कोरबा जिले में वर्ष 2025 की नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषण किए गए 12 नमूनों में से 01 स्थान पर नाइट्रेट और 2 स्थानों पर फ्लोराइड की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। इसके अलावा, आर्सेनिक (As), यूरेनियम (U), कॉपर (Cu) और जिंक (Zn) जैसी भारी धातुओं की सांद्रता अनुमत सीमा के भीतर पाई गई।

सीजीडब्ल्यूबी ने विभिन्न प्रकार के संदूषकों से होने वाले भूजल संदूषण के निवारण के लिए कई उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं, जिनका प्रसार वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, नैक्यूम अध्ययन रिपोर्ट, राज्य/जिला प्रशासनों को जारी एडवाइजरी और अपने प्रशिक्षण एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी ने आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त कुओं के निर्माण

की तकनीक भी विकसित की है, जिसे राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है ताकि वे इसका अनुकरण कर सकें और आगे बढ़ा सकें।

(ख) और (ग): भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना पूरे देश को कवर करती है, न कि केवल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों को। राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता संबंधी पहलुओं पर कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए जेजेएम के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- जल सुरक्षा, जेजेएम की स्थापना से ही इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। जेजेएम के अंतर्गत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को नल के पानी की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता की समस्या वाले गांवों के लिए वृहत जल अंतरण की पाइपयुक्त जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाएं और उन्हें लागू करें, जो विशेषतः सतही जल स्रोतों या वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों पर आधारित हों।
- उपर्युक्त रूपरेखा के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, देश भर में लगभग 2870 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गाँव से पाँच व्यक्तियों, विशेषतः महिलाओं, की पहचान की जाती है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में, ताकि प्रत्येक घर को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।

जल संदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, नाइट्रेट, आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे प्रमुख संदूषकों से प्रभावित बस्तियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2022 तक देश में नाइट्रेट से प्रभावित 515 बस्तियाँ थीं, जिनमें से 112 बस्तियों को अब तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, अगस्त 2019 से जनवरी 2026 तक, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों की संख्या क्रमशः 14,020 से घटकर 314 और 7,996 से घटकर 245 हो गई है। इन शेष बस्तियों को भी सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।